कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
Email :- gjycg.college@gmail.com Website : www.cgcollege.org
Tele.No. – 0771-2427126

क्रमांक/824/1105/2025 रायपुर, दिनांक 04/08/2025

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर के **प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक** के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से **अतिथि व्याख्याताओं** (**विषय–विधि–01, भूगोल–01 एवं भौतिकशास्त्र–01) हेतु** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 18 अगस्त 2025 को सायं 05:00 बजे** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

टीप :–**विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड तथा महाविद्यालय के वेबसाईट www.cgcollege.org में अपलोड किया गया है, जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।**

4.8.25

(डॉ.तपेश चन्द्र गुप्ता)
प्राचार्य

Guest Lecture

कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ महाविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

Email :- gjycg.college@gmail.com Website : www.cgcollege.org

Tele.No. – 0771-2427126

क्रमांक / 825 / 1105 / 2025 रायपुर, दिनांक 04/08/2025

/ /अतिथि व्याख्याता (विधि) हेतु विस्तृत विज्ञापन/ /

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574 / 126 / आउशि / राज स्था / नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 / 07 / 2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54 / स्था / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 20 / 06 / 2024 एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र कमांक 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 07 / 2025 के अनुसार शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में **(विषय–विधि–01, भूगोल–01 एवं भौतिकशास्त्र–01)** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ **आवेदन दिनांक 18/08/2025 को सायं 05:00 बजे तक** केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते हैं (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिय स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

अतिथि व्याख्याता की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानसुार होगी :–

श्रेणी – 1 संबंधित विषय में पी.एच–डी.
श्रेणी – 2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण
श्रेणी – 3 संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

विषय/पदों का विवरण :

क्रं.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या		
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा प्राध्यापक
1.	विधि	–	–	01
2.	भूगोल	–	–	01
3.	भौतिकशास्त्र	–	–	01

टीप : संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12वीं, स्नातक,स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 18/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जायेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पद्‌वार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन **दिनांक 26/08/2025** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा । वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की **तिथि 29/08/2025** तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **02/09/2025** को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक

(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता–**प्राचार्य, शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.) पिन कोड–492001** एवं आवेदित पद विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/ महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ.तपेश चन्द्र गुप्ता)
प्राचार्य